तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद/आवेदन संख्या .... अनवान..	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर.....................पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक .... को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर...पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	
31.05.2018	यह पत्रावली अटल सेवा केन्द्र बालेरा मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01, 09, 11 व 12 उपस्थित। प्रार्थीगण ने उपस्थित पक्षकारान् को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खेत मौजा बालेरा पटवार क्षेत्र बालेरा के खसरा नम्बर 142 रकबा 27.07 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। उपस्थित अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा आवेदित भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रकट नही की है। अतः मौजा बालेरा पटवार क्षेत्र बालेरा के खसरा नम्बर 142 रकबा 27.07 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	(9) (12) (11) (1)

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner